Inspection Report

Preamble : NGT Case no. 420/2019 – Ramnarayan Singh V/s State of Madhya Pradesh- Order dated 02-07-2019

Inspection remark:

Two Flag Stone Mines has been sanctioned by Mining Deptt. Panna at Vill- Bijadeh Khilasari, Tehsil- Pawai, 1. M/s S.S.Minerals at khasra no. 250/6, 250/7 & 250/8 total area 2.10 Hact. & 2. M/s Rajendra Kumar Jain, at khasra No. 250/3, 250/5 total area 1.20 Hactare. Both mines are inspected on dated 18th July 2019 in presence of representative of both mines Shri Mohit Singh & Shri Rajendra Kumar Jain, Mining activity is closed due to rainy season. River Galko is flowing in north & east side of mine area, this is non perennial river. River is dried in month of October -November as information provided by local villagers.

Both mine lease holder obtained Environment Clearance from District level Environment Impact assesment authority (DEIAA) Panna vide letter no. 22/DEIAA/2016 panna dated 15.05.2016 & Letter no. 25/DEIAA/2016 dated 26.06.2016., the other details of mines are attached as enclosure 1 & 2.

The mine M/s Rajendra Kumar Jain is in east side ,the munara (Mine boundry piller) of mine towards river side is about 58-60 meter, the school is about 60 meter, at present actual mining is being done at about 115 meter from river & about 120-130 meter from school.

The mine of M/s SS Minerals is in west side ,the mine is sanctioned from bank of river, school is about 80 meter, at present mining is being done at about 112 meter from river & about 120-150 meter from school .There are agriculture field in between mine area & school.

Excavation has been found near river side, over burden is also found river side, It is found that after excavation the area is backfilled with over burden.

The current status of mines has also obtained from Mining Dept. Panna, Copy of inspection report, panchnama & Map attached herewith for reference.

Mining Process- Both Flag stone mine are open cost mine, Mining is carried out by using hand tools such as chisel, , spades & hammer etc The mining of flag stone slab is carried out using by making the holes by the chisel vertically. These holes of 2-5 inches make in the required slab width in alignment further these closed spaced holes give the required slab dimension. The slab is shifted to on ground for required splitting of slab by manually. Mining work has been carried out by manually, NO machineries are used in mining, Blasting is not done, as flag stone is soft in nature so in case of blasting , flag stone shall crack & not usable.

Conslusion & Action taken : It is found that mining has been done near river side, Instruction has been issued to both mine owner to mark "no mining zone" in 100 meter from river side & ensure no mining in this area.

Photographs & Inspecton report of Mining Department Panna are attached herewith.

Dated : 30/07/2019

SANJAY KUMAR JAIN
SCIENTIST
REGIONAL OFICE,
M.P.POLLUTION CONTROL BOARD
SAGAR (M.P)

Enc-1

Deatisl of Mine M/s S.S.Minerals, Bijadeh Khilsari

S.No	Particulars	Details of Particulars	Enclosure No
1	Mine Location	Village Bijadeh Khilsari,Tehsil Gunour District Panna Khasra No 250/06 ,250/7,250/8 Area of Mine-2.10 Hectare	-
2	Environment Clearance	Issued by District Level Environment Impact Assessment Authority, Panna Vide letter no 22 dated 15/05/2016	1A
3	Product & Production capacity	Mining of Flag Stone-10118 Cubic Meter per year	-
4	NOC's	*Gram Panchyat, Ghutehi NOC issued dated 02/01/02014	1B
5	Mine lease period	29/02/2016 to 28/02/2026	-
6	Seddhantik Lease permission	Granted by Office Of Collector ,Mining Dept, Panna vide latter no 1581/11/M/3/6/2015 Panna Dated 10/08/2015	1C
7	Mining Plan Approval	Mining plan approved by Regional Head, Directorate, Mining & Mineral, Jabalpur letter no 3745 dated 28/08/2015	1D

Enc - 1A

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)

सचिवालय जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA)

जिला–पन्ना (म0प्र0)

Email- modgmpan@mp.gov.in

क्रमांक 22 /DEIAA /2016 पन्ना दिनांक 15/05/2016

प्रति,

मै0 एस0एस0 मिनिरल्स,
प्रो0 श्री श्रीकान्त दीक्षित
निवासी टिकुरिया मोहल्ला पन्ना जिला पन्ना (म0प्र0)

विषय :– प्रकरण क्रमांक **4331/15 pan/4/2016** ग्राम **बीजादेह खिलसारी** तहसील **पवई** जिला पन्ना की भूमि क्रमांक **250/6, 250/7, 250/8** रकवा **2.10** हे.,खनिज फर्शी पत्थर उत्खनि पट्टा अनुमोदित खन्न परियोजना अनुसार उत्पादन क्षमता **10118** घनमीटर/प्रतिवर्ष हेतु पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस अर्धयांत्रिकृत विधि द्वारा खुली फर्शी पत्थर खदान के संबंध में।

–00–

आपके द्वारा "सिया" में प्रस्तुत आवेदन पत्र "डिया" को स्थानांतरित किया गया है। पूर्व पर्यावरणीय अनुमति हेतु उपरोक्त विषयांकित के संबंध में पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के प्रस्ताव पर ई.आई.ए. (EIA) अधिसूचना 2006 संशोधित 15 जनवरी 2016 की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों फार्म एम–1, संलग्नक–1, माइनिंग प्लान का अवलोकन डेक (DEAC) एवं डिया (DEIAA) द्वारा किया गया। डेक (DEAC) द्वारा चाहे गये अतिरिक्त स्पष्टीकरण की पूर्ति उपरांत प्रकरण डिया (DEIAA) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा डिया (DEIAA) द्वारा यह पाया गया कि :–

(I) प्रस्तावित खन्न क्षेत्र (स्थल) से 10 कि0मी0 की परिधी में कोई भी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है। प्रस्तावित खन्न क्षेत्र से 500 मीटर की परिधी में कोई मानव बसाहट, जल निकाय स्थित नहीं हैं। खन्न स्थल से निकटतम वन सीमा की दूरी 250 मीटर से अधिक है।

(II) प्रस्तावित खदान की खन्न परियोजना अनुसार वार्षिक उत्पादन क्षमता **10118** घनमीटर प्रति वर्ष दर्शाई गई है। खन्न कार्य मानव श्रमिकों द्वारा ओपन कास्ट अर्द्धयंत्रीकृत विधि द्वारा ही किया जावेगा।

(III) यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ई.आई.ए. (EIA) नोटिफिकेशन अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर इस प्रकरण पर विचार किया गया।

(IV) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर DEIAA द्वारा मिनिट ऑफ मीटिंग क्रमांक **1st** दिनांक **03.05.2016** में DEAC की **1st** बैठक में दिनांक **28.04.16** को दिये गये प्रस्तावों को स्वीकार किया गया एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

इसलिये पूर्व पर्यावरणीय अनुमति खसरा नं0 **250/6, 250/7, 250/8** रकवा 2.10 हे. में 10 /वर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए ग्राम **बीजादेह खिलसारी** तहसील **पवई** जिला पन्ना को खनिज फर्शी पत्थर खदान (खुली अर्द्धयांत्रिकृत विधि) के लिए श्री मे0 एस0एस0 मिनिरल्स, प्रो0 श्री श्रीकान्त दीक्षित को DEAC एवं DEIAA द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है।

विशेष शर्तें :–

1. पी.पी. (पट्टेधारी) पट्टा अनुबंध के निष्पादन से पहले खन्न गतिविधि शुरू नहीं करेगा।
2. खन्न कार्य अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 की शर्तों के अनुसार ही किया जावेगा।
3. खन्न गतिविधि प्रांरभ करने के पहले वन एवं राजस्व तथा खनिज अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल का सीमाकंन किया जावेगा।
4. खन्न के उपरांत प्रस्तुत किये गये अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान के अनुसार ही खदान को बंद किया जावेगा।
5. पी.पी. (पट्टेदार) के द्वारा डिया एवं डेक में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में यदि कोई विसंगतियां भविष्य में पाई जाती है, तो उसके लिए पी.पी. उत्तरदायी होगें।
6. खनिज का परिवहन बंद/तिरपाल से ढके हुए वाहनों में किया जायेगा।
7. म0प्र0 प्रदूषण नियत्रंक बोर्ड से आवश्यक जल एवं वायु सम्मति, अनुमतियां लेनी होंगी। बिना प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की अनुमति के खन्न कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
8. लीज एरिया का परीसीमन उपर्युक्त साधनों से पट्टेदार द्वारा किया जावेगा।
9. खन्न क्षेत्र में प्रस्तावित वृक्षारोपण करना पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। पट्टेदार वृक्षारोपण अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार करेगें अथवा डिया एवं डेक के निर्देशानुसार खन्न के दौरान वृक्षारोपण करना होगा तथा पाँच वर्षों तक इन वृक्षों की देखभान करनी होगी। इस दौरान यदि कोई पेड़ नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः रोपित करना होगा।
10. खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा।
11. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान हेतु आवश्यक गतिविधि पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु संबंधी ग्राम पंचायत की सहमति से व्यय करने होंगें।

12. पी.पी. इतनी पर्याप्त सावधानियां बर्तेगा कि खन्न कार्य के दौरान वनस्पति और जीवों के लिए नुकसान न पहुँचाया जावे।

13. पर्यावरण अनुमति की वैधता ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधान के अनुसार होगी। इस परियोजना में यदि कोई अतिरिक्त विस्तार/परिवर्तन किया जावेगा तो उसके लिये पुनः पर्यावरणीय अनुमति नये तरीके से ली जावेगी।

सामान्य शर्तें :—

1. नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीकी वैधानिक अनुमति प्राप्त ब्लास्टर से अथवा वैधानिक अनुमति प्राप्त कर जब जैसी आवश्यक हो, केवल दिन के समय में किया जायेगा। ब्लास्टिंग से संबंधित बारूद, डिटोनेटर या अन्य सामग्री लीज क्षेत्र में संधारित नहीं किया जायेगा।
2. खन्न कार्य केवल अनुमोदित माइनिंग प्लान के आधार पर किया जावेगा।
3. प्रभावी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों जैसे जटिल (महत्वपूर्ण) क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा और भारी वाहनों में खनिज का परिवहन करने हेतु सुरक्षित रूप से किया जावेगा।
4. लीज ऐरिया में खन्न संक्रियायें प्रारम्भ करने के पूर्व क्षेत्र का संयुक्त सीमाकंन खनिज एवं राजस्व विभाग के अमले द्वारा कराया जावेगा।
5. पट्टेधारक को उक्त परियोजना की खन्न संक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग एवं अन्य विभाग जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्रीय खान सुरक्षा कार्यालय से भी नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
6. पट्टेधारी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं बनाया जावेगा।
7. पट्टेधारी द्वारा नजदीक की बस्तियों से खन्न गतिविधियों के प्रभाव को रोकने के लिए विशेष उपाय किये जावेगें। खनिज के परिवहन के समय, नियमित रूप से सड़कों का रख—रखाव किया जायेगा।
8. खन्न कार्य के फलस्वरूप होने वाले मिट्टी का कटाव तथा उसके रोकथाम एवं क्षरण के प्रबंधन के नियत्रंण के लिए समस्त उपाय किया जायेगा।
9. पट्टेधारी की जिम्मेदारी होगी कि खन्न क्षेत्र के चारों तरफ गारलेण्ड ड्रेनेज (नाली) का निर्माण करना होगा, ताकि खनिज क्षेत्र की मिट्टी के कटाव व बहाव से आस—पास के जलीय निकाय में जाने से रोका जा सके।
10. पट्टेधारी को खदान क्षेत्र, कचरे के ढेर, खदानों के चारों तरफ की नाली की आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेगा।

11. खन्न के दौरान ऊपरी सतह की मिट्टी एवं अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित कर उसका उपयोग बाद में खन्न की समाप्ति पर गड्ढे के भराव में किया जावेगा।

12. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुरूप लीज क्षेत्र में वृक्षारोपण की प्रक्रिया की जावेगी। वनस्पति के स्वःजीविका सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लीज क्षेत्र में कोई भी पेड़ नहीं काटे जावेगें और यदि आवश्यक हुआ तो इसकी पूर्व अनुमति समक्ष प्राधिकारी से ली जानी होगी।

13. खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को तिरपाल या अन्य उपयुक्त कवर से ढंककर किया जायेगा। ताकि उसके धूल के कण परिवहन के समय उड़ न सके।

14. पट्टेधारी द्वारा खन्न कर्मचारियों के लिए उचित आवास तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

16. पट्टेधारी द्वारा धूल क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण जैसे मॉस्क, जूते आदि उपलब्ध करायेगा और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, सुरक्षा की जानकारी और स्वास्थ्य के पहलुओं की जानकारी प्रदान की जायेगी।

17. पट्टेधारी द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा के लिये स्थल पर औषधालय सुविधाएं उपलब्ध कराया जायेगा।

18. पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अलावा स्थानीय निकाय पंचायत और नगर निकायों के प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा।

19. पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमों में आवश्यक संशोधन एवं बदलाव समय–समय पर किया जा सकेगा।

20. पट्टेधारी द्वारा गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी शर्तों के पालन में विफल होने पर पर्यावरणीय अनुमति समाप्त कर दी जावेगी तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

21. DEIAA द्वारा दी गई पूर्व पर्यावरण अनुमति के आदेश के निरस्तगी के विरूद्ध अपील 30 दिवस के अंतर्गत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 की धारा 16 के अंतर्गत की जा सकेगी।

22. DEIAA एवं DEAC की प्रक्रिया का शुल्क निर्धारण अभी राज्य शासन द्वारा नहीं किया गया है। भविष्य में उक्त प्रक्रिया का जो भी शुल्क निर्धारण

किया जावेगा। उसे 7 दिवस के अंदर पट्टेधारी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

23. पट्टेधारी को डिया, डेक द्वारा निर्देशित पर्यावरण सुरक्षा के लिए किये गये उपाये एवं शर्तों के पालन में त्रैमासिक रिपोर्ट की प्रति डिया पन्ना तथा म0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड सागर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आदेश में निहित किसी भी शर्तो का उल्लघंन/खन्न कार्य में अनियमित्ता पाये जाने पर नियमानुसार निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात
निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA)
जिला पन्ना (म0प्र0)

पृ.क्र......../DEIAA/2016 पन्ना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सागर संभाग, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सदस्य–सचिव, मध्यप्रदेश, पर्यावरण समाघात प्राधिकरण पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 588 दिनांक 11.04.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. सदस्य–सचिव, मध्यप्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं अध्यक्ष DEAC, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
8. वरिष्ठतम् उप प्रभागीय अधिकारी (वन) एवं सदस्य DEAC, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।

9. प्रभारी अधिकारी (खनि–शाखा) जिला पन्ना (सदस्य सचिव DEAC) एवं जियॉलोजी विभाग के प्रतिनिधि/सदस्य DEAC जिला पन्ना /सुदूर संवेदन विज्ञान का प्रतिनिधि/ सदस्य की ओर सूचनार्थ।
10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ अधिकारी जिला पन्ना/ प्रतिनिधि/सदस्य DEAC जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, सागर एवं सदस्य DEAC जिला पन्ना म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
12. संभायुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ (सदस्य DEAC) जिला पन्ना म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्राधिकरण, (DEIAA)
जिला–पन्ना (म.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत घुटेही जनपद पंचायत पवई पन्ना (म०प्र०)

क्रमांक / 8/ 2014 दिनांक 2/10/14

Ex-1B

प्रति
श्री मान खनिज अधिकारी महोदय
जिला पन्ना (म०प्र०)

विषय - उत्खनन पट्टा (फर्शी पत्थर) आवेदन पत्र मे अभिमत दिये जाने के संबंध मे

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत ~~कि~~ घुटेही को अग्रिम कार्यालय के पत्र के माध्यम से मे.एल०एल० मिनरल्स प्रो० श्रीकान्त दीक्षित नि० टिकुरिया मो० पन्ना द्वारा ग्राम बीजाडुह मे स्व आराजी नं. 250/6, 250/8 रकबा 2.10 हे० पर फर्शीकरण उत्खनन पट्टा प्राप्त किये जाने मे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

अतः श्री मान की सेवा मे अग्रिम कार्यवाही हेतु आवेदन जारी अपेक्षित है।

सरपंच
ग्राम पंचायत घुटेही
ज.पं. पवई (पन्ना) म.प्र.

सचिव
ग्राम पंचायत घुटेही
जनपद पंचायत पवई, पन्ना

कार्यालय ग्राम पंचायत कुटेही जनपद पंचायत पवई जिला पन्ना (म०प्र०)

बैठक दिनांक 2/10/2014

उपस्थित सदस्यों के नाम		विषय	कार्यवाही विवरण	निर्णय	उपस्थित सदस्यों के हस्ता० अंगूठा
रामभुवन यादव	सरपंच	प्रस्ताव क्र. 4 एस०एल० मिनरल्स प्रो० श्रीकान्त दीक्षित नि० रिठुरिया मो० पन्ना द्वारा ग्रा० बीजाडूह ख०नं० के खसरा नं. 250/6, 250/7, 250/8 कुल रकबा 2.10 हे० जो फर्शी पत्थर हेतु उत्खनन के पट्टे दिये जाने के संबंध में।	प्रस्तावक – श्री केशरी सिंह पंच द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ग्रा०पं० में दिनांक 2.10.14 को आवेदन प्राप्त हुआ है कि एस०एल० मिनरल्स प्रो० श्री कान्त दीक्षित नि० रिठुरिया मो० पन्ना द्वारा ग्राम बीजाडूह में फर्शी पत्थर उत्खनन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाये जिसका खसरा क्रमशः इस प्रकार है 250/6, 250/7, 250/8 कुल रकबा 2.10 हे० है। जिसमें इनके द्वारा फर्शी की खदान लगाई जाना है जिससे गांव से दूरी के कारण कोई प्रदूषण नहीं होगा जिसमें इन्हें ग्राम पंचा० को कोई आपत्ति नहीं है। समर्थक – उक्त प्रस्ताव का समर्थन विश्राम सिंह पंच सहित सभी उपस्थित सदस्यों ने एक मत होकर फर्शी पत्थर का उत्खनन करने का समर्थन किया।	उपस्थित सदस्यों ने निर्णय लिया कि एस०एल० मिनरल्स प्रो० श्रीकान्त दीक्षित नि० रिठुरिया मो० पन्ना को ग्राम बीजाडूह में फर्शी पत्थर का उत्खनन करने हेतु प्रस्ताव लिया गया।	उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर एवं अं०नि० पंच पंजी में अंकित है।
नगरानी बाई	पंच				
चन्दाबाई	पंच				
केशरी सिंह	पंच				
अरविन्द सिंह	पंच				
रामसिंह	पंच				
विश्राम सिंह	पंच				
हनुमान सिंह	पंच				
सुकचरण	पंच				
रामसुजान	पंच				

सरपंच
ग्राम पंचायत कुटेही
ज.पं. पवई, (पन्ना) म.प्र.

Enc-1C

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक/1581/11/एम/3/6/2015 पन्ना, दिनांक 10/08/2015

प्रति,

मै0 एस0एस0 मिनरर्ल्स,
टिकुरिया मोहल्ला पन्ना म0प्र0

विषय :- उत्खनि पट्टा आवेदन पत्र ग्राम बीजादेह खिलसारी के ख0नं0–ख0नं0–250/6, 250/7, 250/8 के रकवा 2.10 हे0 पर स्वीकृति बावत्।.

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2014

–00–

विषयान्तर्गत मै0 एस0एस0मिनरर्ल्स द्वारा ग्राम बीजादेह खिलसारी ख0नं0–250/6, 250/7, 250/8 के रकवा 2.10 हे0 क्षेत्र पर फर्शी पत्थर के उत्खनि पट्टा हेतु दिनांक 08.09.2014 को आवेदन पत्र नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । ग्राम बीजादेह खिलसारी का ख0नं0–250/6 रकवा 0.800 हे0 श्रीमति शकुन्ता बाई, 250/7, श्रीमति उर्मिला बाई रकवा 0.50 हे0 ख0नं0–250/8 श्री रामलखन भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है खातेदार श्रीमति उर्मिला बाई, शकुन्ता बाई एवं श्री रामलखन द्वारा मै0 एस0 एस0 मिनरर्ल्स के नाम उक्त भूमि पर उ0प0 स्वीकृत करने के संबंध मे अपनी सहमति दी गई है।

आवेदित क्षेत्र के संबंध मे वन मण्डलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल पन्ना द्वारा अपने प्रतिवेदन पत्र कमांक 7297 दिनांक 27.12.2014 मे आवेदित ख0नं0 राजस्व भूमि वन सीमा से 270 मीटर की दूरी पर प्रतिवेदित किया है मौके की जी0पी0एस0 रीडिग प्रतिवेदन मे अंकित की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई के द्वारा अपने प्रतिवेदन कमांक 536 दिनांक 24.03.2015 में नायब तहसीदार कल्दा द्वारा प्रस्तुत कण्डिकावार प्रतिवेदन मे सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिवेदन भेजा गया है। जिसमें आवेदित क्षेत्र उबड खाबड पडत भूमि बताई गई है कृषि योग्य नही बताई गई है। भूमि स्वामी स्वत्व की राजस्व भूमि बताई गई है।

क्षेत्रीय प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा प्रतिवेदन कमांक 482 दिनांक 08.08.2015 में आवेदित क्षेत्र में फर्शी पत्थर उपलब्ध बताया है पट्टा स्वीकृत हेतु लेख किया गया है।खनिज निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र मे फर्शी पत्थर उपलब्ध बताया है तथा पट्टा स्वीकृत करने की अनुशंसा की है कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग के द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2015 एवं दिनांक 28.07.2015 मे विद्युत विभाग की कोई वकाया नही बताई गई है मानचित्रकार द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.06.2015 में आवेदित क्षेत्र रकवा 2.10 हे0 उपलब्ध बताया है ।

अतः जॉच प्रतिवेदनो के आधार पर मै0 एस0एस0 मिनरर्ल्स के नाम ग्राम बीजादेह खिलसारी ख0नं0–250/6, 250/7, 250/8 के रकवा 2.10 हे0 क्षेत्र पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18(2) के तहत उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धान्ति सहमति प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि 6 माह के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं सिया से पर्यावर्णीय अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

(टीप पत्र पर कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

उपसंचालक
एवं
प्रभारी अधिकारी खनिज
वास्ते कलेक्टर जिला पन्ना (म0प्र0)

Enc-1D

कार्यालय, क्षेत्रीय प्रमुख
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर

क्रमांक /खनि/न.क्रं. /15–16 जबलपुर, दिनांक

प्रति,

मे0 एस0एस0मिनरल्स प्रो0 श्री श्रीकांत दीक्षित
निवासी टिकुरिया मोहल्ला
जिला– पन्ना (म0प्र0)

विषयः– खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में ।

संदर्भः– आपके आर0क्यू0पी0 श्री आर0एस0भटनागर का पत्र दिनांक 28.8.15 ।

–00–

विषयांतर्गत लेख है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के व्दारा ग्राम–बीजादेह खिलसारी तहसील पवई जिला–पन्ना खसरा नंबर 250/6,7,8 कुल रकबा 2.10 है0 क्षेत्र पर खनिज फर्शी पत्थर उत्खनिपट्टा हेतु माइनिंग प्लान की तीन प्रतियां अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी।

म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत उपरोक्त माइनिंग प्लान इस शर्त के साथ अनुमोदित किया जाता है कि आवेदक म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों विशेषकर नियम 30 (24) प्रारूप 13 का पालन सुनिश्चित करेगा । आवेदित क्षेत्र को दर्शाने वाले ज्योग्रफिकल को–आर्डिनेट की सही जी0पी0एस0 रिडिंग भू–प्रवेश एवं सीमांकन के समय प्राप्त की जावे एवं खनिज अधिकारी को लिखित में सूचित किया जावे ।

संलग्न– अनुमोदित खनन योजना एक प्रतियों में ।

क्षेत्रीय प्रमुख
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर

पृ0क्रमांक 3746/खनि/न.क्रं. /15–16 जबलपुर, दिनांक 28-8-15

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –पन्ना की ओर अनुमोदित खनन योजना की एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. श्री आर0एस0भटनागर आर0क्यू0पी0पता गायत्री नगर पतेरी सतना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय प्रमुख
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर

29/8/15

2.Mine Lease of Shri Rajendra Jain, Bijadeh Khilsari

S.No	Particulars	Details of Particulars	Enclosure No
1	Mine Location	Village Bijadeh Khilsari,Tehsil Gunour District Panna Khasra No 250/3, 250/5 Area of Mine- 1.20 Hectare	-
2	Environment Clearance	Issued by District Level Environment Impact Assessment Authority, Panna Vide letter no 225dated 26/06/2016	2A
3	Product & Production capacity	Mining of Flag Stone-2450 Cubic Meter per year	-
4	NOC's	*Gram Panchyat Ghutehi NOC issued dated 30/01/2016 *Sub Divisional Officer (Revenue) Pawai letter no 322 dated 18/02/2016	2B
5	Mine lease period	04/05/2016 to 03/05/2026	-
5	Seddhantik Lease permission	Granted by Office Of Collector ,Mining Dept, Panna vide letter no 792/11/M/3/6/2016 Panna Dated 28/03/2016	2C
6	Mining Plan Approval	Mining plan approved by Regional Head, Directorate, Mining & Mineral, Jabalpur letter no 1120 dated 18/04/2016	2D

Env-2A

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
सचिवालय जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA)
जिला–पन्ना (म0प्र0)
Email- modgmpan@mp.gov.in

क्रमांक 25 /DEIAA /2016 पन्ना दिनांक 26/06/2016

प्रति,

श्री राजेन्द्र जैन पिता श्री बाबू लाल जैन,
निवासी सलेहा तहसील गुनौर जिला पन्ना (म0प्र0)

विषय :– प्रकरण क्रमांक **pan/45/2016** ग्राम **बीजादेह खिलसारी** तहसील **पवई** जिला पन्ना की भूमि ख0 क्रमांक **250/3, 250/5** रकवा **1.20** हे. ,खनिज **फर्शी पत्थर**, उत्खनि पट्टा अनुमोदित खन्न परियोजना अनुसार उत्पादन क्षमता **2450** घनमीटर/प्रतिवर्ष हेतु पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस अर्धयांत्रिकृत विधि द्वारा खुली फर्शी पत्थर खदान के संबंध में।

–00–

आपके द्वारा "डिया" मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पूर्व पर्यावरणीय अनुमति हेतु उपरोक्त विषयांकित के संबंध में पूर्व पर्यावरणीय अनुमति के प्रस्ताव पर ई.आई.ए. (EIA) अधिसूचना 2006 संशोधित 15 जनवरी 2016 की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों फार्म एम–1, संलग्नक–1, माइनिंग प्लान का अवलोकन डेक (DEAC) एवं डिया (DEIAA) द्वारा किया गया। डेक (DEAC) द्वारा चाहे गये अतिरिक्त स्पष्टीकरण की पूर्ति उपरांत प्रकरण डिया (DEIAA) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा डिया (DEIAA) द्वारा यह पाया गया कि :–

(I) प्रस्तावित खन्न क्षेत्र (स्थल) से 10 कि0मी0 की परिधी में कोई भी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, अंतर्राज्जीय सीमा नहीं है। प्रस्तावित खंन्न क्षेत्र से 500 मीटर की परिधी में कोई मानव बसाहट, जल निकाय स्थित नहीं हैं। खन्न स्थल से निकटतम वन सीमा की दूरी **250 मीटर से अधिक है।**

(II) प्रस्तावित खदान की खन्न परियोजना अनुसार वार्षिक उत्पादन क्षमता **2450** घनमीटर प्रति वर्ष दर्शाई गई है। खन्न कार्य मानव श्रमिकों द्वारा ओपन कास्ट अर्द्ध यंत्रीकृत विधि द्वारा ही किया जावेगा।

(III) यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ई.आई.ए. (EIA) नोटिफिकेशन अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर इस प्रकरण पर विचार किया गया।

(IV) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर DEIAA द्वारा मिनिट ऑफ मीटिंग क्रमांक **2nd** दिनांक **31.05.16** में DEAC की **2nd** बैठक में दिनांक **24.05.16** को दिये गये प्रस्तावों को स्वीकार किया गया एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

इसलिये पूर्व पर्यावरणीय अनुमति खसरा नं0–**250/3, 250/5** रकवा **1.20** हे. में **10**/वर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए ग्राम **बीजादेह खिलसारी** तहसील **पवई** जिला पन्ना को खनिज **फर्शी पत्थर** खदान (खुली यांत्रिकृत विधि) के लिए **श्री राजेन्द्र जैन पिता श्री बाबू लाल जैन निवासी सलेहा तहसील गुनौर जिला पन्ना (म0प्र0)** को DEAC एवं DEIAA द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है।

विशेष शर्तें :–

1. पी.पी. (पट्टेधारी) पट्टा अनुबंध के निष्पादन से पहले खन्न गतिविधि शुरू नहीं करेगा।
2. खन्न कार्य अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 की शर्तों के अनुसार ही किया जावेगा।
3. खन्न गतिविधि प्रांरभ करने के पहले वन एवं राजस्व तथा खनिज अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल का सीमाकंन किया जावेगा।
4. खन्न के उपरांत प्रस्तुत किये गये अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान के अनुसार ही खदान को बंद किया जावेगा।
5. पी.पी. (पट्टेदार) के द्वारा डिया एवं डेक में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में यदि कोई विसंगतियां भविष्य में पाई जाती है, तो उसके लिए पी.पी. उत्तरदायी होगें।
6. खनिज का परिवहन बंद/तिरपाल से ढके हुए वाहनों में किया जायेगा।
7. म0प्र0 प्रदूषण नियत्रंक बोर्ड से आवश्यक जल एवं वायु सम्मति, अनुमतियां लेनी होंगी। बिना प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड की अनुमति के खन्न कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
8. लीज एरिया का परीसीमन उपर्युक्त साधनों से पट्टेदार द्वारा किया जावेगा।
9. खन्न क्षेत्र में प्रस्तावित वृक्षारोपण करना पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। पट्टेदार वृक्षारोपण अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार करेगें अथवा डिया एवं डेक के निर्देशानुसार खन्न के दौरान वृक्षारोपण करना होगा तथा पाँच वर्षों तक इन वृक्षों की देखभान करनी होगी। इस दौरान यदि कोई पेड़ नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें पुनः रोपित करना होगा।
10. खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा।

11. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान हेतु आवश्यक गतिविधि पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु संबंधी ग्राम पंचायत की सहमति से व्यय करने होंगें।

12. पी.पी. इतनी पर्याप्त सावधानियां बर्तेगा कि खन्न कार्य के दौरान वनस्पति और जीवों के लिए नुकसान न पहुँचाया जावे।

13. पर्यावरण अनुमति की वैधता ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधान के अनुसार होगी। इस परियोजना में यदि कोई अतिरिक्त विस्तार/परिवर्तन किया जावेगा तो उसके लिये पुनः पर्यावरणीय अनुमति नये तरीके से ली जावेगी।

सामान्य शर्ते :–

1. नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीकी वैधानिक अनुमति प्राप्त ब्लास्टर से अथवा वैधानिक अनुमति प्राप्त कर जब जैसी आवश्यक हो, केवल दिन के समय में किया जायेगा।ब्लास्टिंग से संबंधित बारूद, डिटोनेटर या अन्य सामग्री लीज क्षेत्र में संधारित नहीं किया जायेगा।

2. खन्न कार्य केवल अनुमोदित माइनिंग प्लान के आधार पर किया जावेगा।

3. प्रभावी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों जैसे जटिल (महत्वपूर्ण) क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जावेगा और भारी वाहनों में खनिज का परिवहन करने हेतु सुरक्षित रूप से किया जावेगा।

4. लीज ऐरिया में खन्न संक्रियायें प्रारम्भ करने के पूर्व क्षेत्र का संयुक्त सीमाकंन खनिज एवं राजस्व विभाग के अमले द्वारा कराया जावेगा।

5. पट्टेधारक को उक्त परियोजना की खन्न संक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग एवं अन्य विभाग जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्रीय खान सुरक्षा कार्यालय से भी नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

6. पट्टेधारी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं बनाया जावेगा।

7. पट्टेधारी द्वारा नजदीक की बस्तियों से खन्न गतिविधियों के प्रभाव को रोकने के लिए विशेष उपाय किये जावेगें। खनिज के परिवहन के समय, नियमित रूप से सड़कों का रख–रखाव किया जायेगा।

8. खन्न कार्य के फलस्वरूप होने वाले मिट्टी का कटाव तथा उसके रोकथाम एवं क्षरण के प्रबंधन के नियत्रंण के लिए समस्त उपाय किया जायेगा।

9. पट्टेधारी की जिम्मेदारी होगी कि खन्न क्षेत्र के चारों तरफ गारलेण्ड ड्रेनेज (नाली) का निर्माण करना होगा, ताकि खनिज क्षेत्र की मिट्टी के कटाव व बहाव से आस–पास के जलीय निकाय में जाने से रोका जा सके।

10. पट्टेधारी को खदान क्षेत्र, कचरे के ढेर, खदानों के चारों तरफ की नाली की आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेगा।

11. खन्न के दौरान ऊपरी सतह की मिट्टी एवं अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित कर उसका उपयोग बाद में खन्न की समाप्ति पर गड्ढे के भराव में किया जावेगा।

12. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुरूप लीज क्षेत्र में वृक्षारोपण की प्रक्रिया की जावेगी। वनस्पति के स्वःजीविका सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लीज क्षेत्र में कोई भी पेड़ नहीं काटे जावेगें और यदि आवश्यक हुआ तो इसकी पूर्व अनुमति समक्ष प्राधिकारी से ली जानी होगी।

13. खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को तिरपाल या अन्य उपयुक्त कवर से ढंककर किया जायेगा। ताकि उसके धूल के कण परिवहन के समय उड़ न सके।

14. पट्टेधारी द्वारा खन्न कर्मचारियों के लिए उचित आवास तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

16. पट्टेधारी द्वारा धूल क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण जैसे मॉस्क, जूते आदि उपलब्ध करायेगा और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, सुरक्षा की जानकारी और स्वास्थ्य के पहलुओं की जानकारी प्रदान की जायेगी।

17. पट्टेधारी द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा के लिये स्थल पर औषधालय सुविधाएं उपलब्ध कराया जायेगा।

18. पट्टेधारक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अलावा स्थानीय निकाय पंचायत और नगर निकायों के प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा।

19. पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमों में आवश्यक संशोधन एवं बदलाव समय–समय पर किया जा सकेगा।

20. पट्टेधारी द्वारा गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी शर्तों के पालन में विफल होने पर पर्यावरणीय अनुमति समाप्त कर दी जावेगी तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

21. DEIAA द्वारा दी गई पूर्व पर्यावरण अनुमति के आदेश के निरस्तगीं के विरूद्ध अपील 30 दिवस के अंतर्गत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 की धारा 16 के अंतर्गत की जा सकेगी।

22. DEIAA एवं DEAC की प्रक्रिया का शुल्क निर्धारण अभी राज्य शासन द्वारा नहीं किया गया है। भविष्य में उक्त प्रक्रिया का जो भी शुल्क निर्धारण किया जावेगा। उसे 7 दिवस के अंदर पट्टेधारी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

23. पट्टेधारी को डिया, डेक द्वारा निर्देशित पर्यावरण सुरक्षा के लिए किये गये उपाये एवं शर्तो के पालन में त्रैमासिक रिपोर्ट की प्रति डिया पन्ना तथा म0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड सागर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आदेश में निहित किसी भी शर्तो का उल्लघंन/खन्न कार्य में अनियमित्ता पाये जाने पर नियमानुसार निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA)
जिला पन्ना (म0प्र0)

पृ.क्र 26 /DEIAA/2016 पन्ना, दिनांक 26.06.2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सागर संभाग, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सदस्य–सचिव, मध्यप्रदेश, पर्यावरण समाघात प्राधिकरण पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 588 दिनांक 11.04.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. सदस्य–सचिव, मध्यप्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं अध्यक्ष DEAC, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
8. वरिष्ठतम् उप प्रभागीय अधिकारी (वन) एवं सदस्य DEAC, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।

9. प्रभारी अधिकारी (खनि–शाखा) जिला पन्ना (सदस्य सचिव DEAC) एवं जियॉलोजी विभाग के प्रतिनिधि/सदस्य DEAC जिला पन्ना /सुदूर संवेदन विज्ञान का प्रतिनिधि/ सदस्य की ओर सूचनार्थ।
10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ अधिकारी जिला पन्ना/ प्रतिनिधि/सदस्य DEAC जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, सागर एवं सदस्य DEAC जिला पन्ना म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
12. संभायुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ (सदस्य DEAC) जिला पन्ना म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्राधिकरण, (DEIAA)
जिला–पन्ना (म.प्र.)

Enc-2B

कार्यालय ग्राम पंचायत छुटेही जनपद पंचायत पवई जिला पन्ना (म०प्र०)

पंचा०/ 8 /2016 दिनांक— 30/01/2016

प्रति

श्रीमान् कलेक्टर महोदय जी
(खनिज शाखा) जिला पन्ना (म०प्र०)

विषय :-
फर्शी पत्थर खदान स्वीकृत बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत छुटेही अन्तर्गत ग्राम बीजाडीह खिरखरी में फर्शी पत्थर खदान स्वीकृत हेतु आपके कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था। जो ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 30/01/2016 के प्रस्ताव क्र० 06 के द्वारा फर्शी पत्थर खदान श्री राजेन्द्र जैन पिता श्री बाबूलाल जैन निवासी पवई तह० गुनौर जिला पन्ना (म०प्र०) को स्वीकृत की गई है।

अतः श्रीमान् जी की सेवा में स्वीकृत हेतु प्रस्ताव सादर सम्प्रेषित है।

(signature)
सचिव
ग्राम पंचायत
जनपद पवई जिला पन्ना (म०प्र०)

प्रेमबाई
सरपंच
ग्राम पंचा०
छुटे० पवई

कार्यालय ग्राम पंचायत घुटेही जनपद पंचायत पवई जिला पन्ना (म० प्र०)

दिनांक – 30/01/2016

उपस्थित सदस्यों के नाम	विषय	कार्यवाही	निर्णय	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठा नि.
श्रीमति प्रेम बाई – सरपंच श्री रामभुवन – उपसरपंच -॥- उत्तम सिंह – पंच -॥- अरविन्द सिंह – -॥- श्रीमति तुलसाबाई – -॥- श्री मदधू – -॥- -॥- कल्याण सिंह – -॥- -॥- दुर्गा आदि० – -॥- श्रीमति क्षमाबाई – -॥- श्री किशोरी – -॥- श्रीमति गिरजाबाई – -॥-	प्रस्ताव क्र – 06 आवेदक श्री राजेन्द्र जैन पिता श्री बाबू लाल जैन निवासी सलेहा तह० गुनौर जिला पन्ना (म०प्र०) को ग्राम पंचायत घुटेही अन्तर्गत ग्राम [illegible] में फर्शी, पत्थर खदान स्वीकृत करने बावत् ।	प्रस्ताव – श्री उत्तम सिंह ग्राम सभा सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि कार्यालय पन्ना के पत्र क्रमांक/ 244/11/खम/3/6/9/12 दिनांक 13/01/2016 द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा खदान स्वीकृत हेतु अनापत्ति जारी करने हेतु श्री [illegible] सिंह पिता तीरथ सिंह गौड़, उम्र 55 वर्ष एवं श्रीमति कौशिल्या बाई पति [illegible] सिंह गौड़, उम्र 45 वर्ष के स्वामित्व की भूमि है। खसरा नं. 250/3, 250/5 एवं रकवा 1.20 हे० जो गाँव से दूर है। जिसमें फर्शी, पत्थर स्वीकृत हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। समर्थन – उक्त प्रस्ताव का समर्थन श्री [illegible] आदि० ग्राम सभा सदस्य सहित उपस्थित सभी पंचों ने एवं सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।	वाद, विवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी कार्यवाही पंजी पर अंकित है।

प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि

प्रेमबाई

Enc-2B

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पवई जिला पन्ना म0प्र0

(Phone no& Fax-07733-268423 Email-sdmpanpawai@gmail.com)

पत्र क्रमांक / 322 / रीडर / 2016 पवई, दिनांक 18/02/ 2016

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
(खनिज शाखा)
जिला – पन्ना

विषय :– फर्शी पत्थर के उत्खनिज पट्टा के आवेदन पत्र के संबंध में अभिमत दिये जाने बाबत।

संदर्भ :– भवदीय पत्र कमांक 243 / 11 / एम / 3 / 6 / 14 पन्ना, दिनांक 19.01.2016

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि आवेदक श्री कि राजेन्द्र जैन पिता बाबूलाल जैन निवासी ग्राम सलेहा द्वारा ग्राम भूमि बीजादुहखिलसारी तहसील पवई में खनिज फर्शी पत्थर एवं माईनिंग के लिए खसरा नं. 250 / 3, 250 / 5 कुल रकवा 1.20 हे. ग्राम बीजादुहखिलसारी क्षेत्र पर फर्शी पत्थर खनिज का उत्खनि पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में संलग्न प्रारूप में कंडिकावार प्रतिवेदन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच राजस्व निरीक्षक कल्दा से कराई गई।

राजस्व निरीक्षक कल्दा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि आबादी से 500 मीटर से दूर है एवं शैक्षणिक संस्थान से 200 मीटर दूर है आवेदिक भूमि पर वृक्षय आदि नहीं पाये गये है, आवेदित भूमि पर उत्खनन करने हेतु खातेदारों द्वारा सहमति दी गई है।

अतः राजस्व निरीक्षक कल्दा के जांच प्रतिवेदन से सहमत होकर राजस्व निरीक्षक का कंडिकावार प्रतिवेदन एवं आवेदित क्षेत्र का पंचनामा, खसरा, नक्शा के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पवई, जिला पन्ना

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पवई

पत्र क्रमांक/ 323 /रीडर/2016 पवई, दिनांक 18/02/2016

प्रति,

1. कलेक्टर महोदय,
   (खनिज शाखा) जिला – पन्ना
2. सदस्य सचिव
   SEIAA पर्यावरण परिसर
   ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

विषय :– 5 हेक्टेयर से कम खनिज उत्खनन की पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिशिष्ट–1 बिन्दु क्रमांक 5 से 16 के सत्यापन की जानकारी।

संदर्भ :– भवदीय पत्र कमांक 243/11/एम/3/6/14 पन्ना, दिनांक 19.01.2016

विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक श्री राजेन्द्र जैन पिता बाबूलाल जैन निवासी ग्राम सलेहा द्वारा ग्राम भूमि बीजादुहखिलसारी तहसील पवई में खनिज फर्शी पत्थर एवं माईनिंग के लिए खसरा नं. 250/3, 250/5 कुल रकवा 1.20 हे. ग्राम बीजादुहखिलसारी तहसील पवई, जिला पन्ना हेतु पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिशिष्ट–1 में बिन्दु क्रमांक 5 से 16 तक की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	निर्धारित बिन्दु	हॉ/नहीं	जानकारी विवरण यदि हॉ तो संपूर्ण विवरण दे)
5	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई मानव वसाहट स्थित है?	नही	–
6	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई जलीय निकाय स्थित है?	नहीं	–
7	क्या 500 मीटर दूरी के अंदर कोई नदी स्थित है	हॉ	110 मीटर
8	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई शैक्षणिक संस्थान स्थित है?	हॉ	200 मीटर की दूरी में शैक्षणिक संस्थान
9	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई चिकित्सालय स्थित है?	नहीं	–
10	क्या 10 मीटर की दूरी के अंदर कोई चिकित्सालय स्थित है?	नहीं	–
11	क्या 500 मीटर की दूरी पर कोई राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल स्थित है?	नहीं	–
12	क्या 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित है? यदि हॉ तो उसका कुल क्षेत्रफल तथा खनिज का नाम	हॉ	–
13	प्रस्तावित खनिज की अनुमानित उत्पादन	–	माईनिंग प्लान के अनुसार
14	नदी से रेत उत्खनन के प्रकरण में– (अ) नदी किनारे से खनन परिसर की दूरी क्या है? (ब) नदी की कुल चौड़ाई का 1/5 भाग कितने मीटर में है?	–	–
15	क्या प्रस्तावित परियोजना के कारण महत्वपूर्ण जलागम (Water intake) का जल बहाव क्षेत्र में परिवर्तन होगा? (यदि हॉ तो परिवर्तन का विवरण दे)	नही	–
16	खनिज उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आने वाली मशीनों के नाम	–	जेसीबी, ट्रेक्टर, डम्फर, एवं अन्य जरूरी उपकरण

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
पवई जिला पन्ना
रा0 पवई जिला पन्ना (म.प्र.)

Enc-2C

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक / 792 /11/एम/3/6/2016 पन्ना, दिनांक 28 /03/2016

प्रति,

श्री राजेन्द्र कुमार जैन पिता श्री बाबू लाल जैन
निवासी सलेहा तहसील गुनौर जिला पन्ना (म0प्र0)

विषय :— आवेदन पत्र उत्खनि पट्टा फर्शी पत्थर ग्राम बीजादेह खिलसारी तहसील पवई जिला पन्ना के ख0नं0—250/3, 250/5 रकबा 1.20 हे0 पर आवेदक श्री राजेन्द्र जैन ।

संदर्भ:— आपका आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2016

—00—

विषयान्तर्गत आपके द्वारा ग्राम बीजादेह खिलसारी तहसील पवई जिला पन्ना के ख0नं0—250/3, 250/5 रकवा 1.20 हे0 क्षेत्र जो खाते की भूमि है फर्शी पत्थर के उत्खनि पट्टा हेतु दिनांक 11.01.2016 को आवेदन पत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है। आवेदित क्षेत्र के संबंध में वन मण्डलाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, क्षेत्रीय प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर, ग्राम पंचायत एवं खनिज निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये ।

वन मण्डलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल पन्ना के द्वारा प्रतिवेदन कमांक 1454 दिनाक 03.03.16 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित ख0नं0 राजस्व भूमि है जो वन सीमा से 450 मीटर की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र की जी0पी0एस0 रीडिंग प्रतिवेदन मे लख किया जाकर प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व अभिलेख में छोटे झाड बडे झाड़ का जंगल दर्ज नही है तथा आवेदित क्षेत्र से 10 कि0मी0 की परिधि मे कोई नेशनल पार्क, अभ्यारण, घोषित जैविविधता क्षेत्र नही है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई के प्रतिवेदन कमांक 322 दिनांक 18.02.16 में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुये पट्टा स्वीकृत करने की अनुसंशा की गई है तथा प्रतिवेदन कमांक 323 दिनांक 18.02.16 के द्वारा सिया से संबंधित परिशिष्ट—एक की जानकारी दी गई है के अनुसार 500 मीटर दूरी के अन्दर मानव बसाहट, जलीय निकाय, नदी, शैक्षणिक संस्था, चिकित्सालय, अन्तर राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय धरोहर, पुरातत्वीय महत्व के स्थान नही है।

खनि निरीक्षक द्वारा भूवैज्ञानिक प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2016 में आवेदित क्षेत्र में गौण खनिज हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। संबंध ग्राम पंचायत घुटेही द्वारा अपने प्रस्ताव कमांक 06 दिनांक 30.01.16 मे पट्टा स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। खनिज निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2016 में आवेदित क्षेत्र मे फर्शी पत्थर उपलब्ध बताया है। तथ विद्युत विभाग की कोई बकाया नही है मानचित्रकार द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 21.03.16 मे आवेदित क्षेत्र रकवा 1.20 हे0 उपलब्ध बताया है।

अतः आपके नाम ग्राम बीजादेह खिलसारी तहसील पवई जिला पन्ना के ख0नं0—250/3, 250/5 रकवा 1.20 हे0 क्षेत्र पर उत्खनि पट्टा फर्शी पत्थर के उत्खनि पट्टा अवधि दस वर्ष की स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक सहमति म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18-2 के तहत प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उत्खनन अनुमोदित खनन योजना छः माह के भीतर एवं सिया से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। अन्यथा सैद्धांतिक सहमति निरस्त समझी जावेगी।

(टीप पत्र पर कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

प्रभारी अधिकारी खनिज
वास्ते कलेक्टर जिला पन्ना (म0प्र0)

पृ0कमांक / /11/एम/3/6/2016 पन्ना, दिनांक /03/2016

प्रतिलिपिः—1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
2. खनि निरीक्षक जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ ।

प्रभारी अधिकारी खनिज
वास्ते कलेक्टर जिला पन्ना (म0प्र0)

Enc-2D

कार्यालय, क्षेत्रीय प्रमुख
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर

क्रमांक /खनि/न.कं. /16 जबलपुर, दिनांक

प्रति,

श्री राजेन्द्र कुमार जैन पिता श्री बाबू लाल जैन
निवासी सलेहा तह0 गुनौर
जिला–पन्ना (म0प्र0)

विषयः– खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में ।

संदर्भः– 1.कले0कार्या0 खनिज शाखा जिला–पन्ना का पत्र क्र0 702 दि0 28.03.16।
2.आपके आर0क्यू0पी0 श्री चार्ल्स प्रदीप सिंह का पत्र दिनांक 13.4.16 ।

–00–

विषयांतर्गत लेख है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के व्दारा ग्राम–बीजादेह खिलसारी तहसील पवई जिला–पन्ना खसरा नंबर 250/3,250/5 कुल रकबा 1.20 है0 क्षेत्र पर खनिज फर्शीपत्थर उत्खनिपट्टा हेतु खनन योजना की चार प्रतियां अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी।

म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत उपरोक्त खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जाती है कि आवेदक म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों विशेषकर नियम 30 (24) प्रारूप 13 का पालन सुनिश्चित करेगा । आवेदित क्षेत्र को दर्शाने वाले ज्योग्रफिकल को–आर्डिनेट की सही जी0पी0एस0 रिडिंग भू–प्रवेश एवं सीमांकन के समय प्राप्त की जावे एवं खनि अधिकारी को लिखित में सूचित किया जावे ।

संलग्न– अनुमोदित खनन योजना एक प्रति में ।

क्षेत्रीय प्रमुख
संचालनालय भौमिकी तथा खनिक
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपु

पृ0क्रमांक 1121 /खनि/न.कं. /16 जबलपुर, दिनांक 18-4-16

प्रतिलिपिः– कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – पन्ना की ओर अनुमोदित खनन योजना की एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

क्षेत्रीय प्र
संचालनालय भौमिकी तथा खनि
क्षेत्रीय कार्यालय जब

20/04/16

Photographs taken on dated 18/07/2019

Munara (Mine boundry) M/s Rajendra Jain,Bijadeh Khilsari

Mine M/s Rajendra Jain,Bijadeh Khilsari

Mine M/s S S Minerals,Bijedeh Khilsari

Mine M/s S S Minerals,Bijedeh Khilsari (Common munara)

Mining Process, Removal of Farsh Blog by making hole

River Galko, Bijadeh Khilsarei

Excavation & dumping of Over burden near River side

Excavation & dumping of Over burden near River side